कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायपुर

::आदेश::

क्रमांक–एस.डब्ल्यू./2020/247 रायपुर दिनांक 18.05.2020

गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक–40–3/2020–DM–I(A) दिनांक 17.05.2020 के अनुक्रम में रायपुर जिला अन्तर्गत पान दुकान एवं सेलून/नाई दुकान/ब्यूटी पार्लर को प्रातः 07.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग/फिजीकल डिस्टेंसिंग एवं कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु सामान्य निर्देशों के पालन करते हुए (मास्क पहनने के निर्देश) में संचालन करने की अनुमति निम्नांकित शर्तो के अधीन दी जाती है–

A सेलून/नाई दुकान/ब्यूटी पार्लर संचालन हेतु शर्ते–

(1) दुकान में सेनेटाईजर/हाथ होने के लिए साबुन एवं पानी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
(2) सेलून संचालक को प्रत्येक व्यक्ति के शेविंग/बाल कटिंग के पश्चात कैची उस्तरा, शेविंग ब्रश, कंघी एवं कुर्सी को सेनिटाईज करना अनिवार्य होगा।
(3) दुकान में आने वाले सभी ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
(4) दुकान में वेटिंग करने हेतु अलग से कुर्सी नहीं रखा जावेगा।
(5) ब्लेड जैसी वस्तु जिसका उपयोग एक ही व्यक्ति पर किया जाना चाहिए अन्य व्यक्ति पर उपयोग नहीं किया जा सकेगा। अतः डिस्पोजेबल सामग्रियों का उपयोग किया जावेगा।
(6) संचालक द्वारा आने वाले सभी ग्राहकों एवं अन्य व्यक्तियों की सम्पूर्ण जानकारी जैसे–नाम, पता, मोबाईल नंबर आदि ब्यौरा अनिवार्यतः रखा जावेगा।
(7) बाल कटिंग/शेविंग/डाई के समय ग्राहक को स्वयं के द्वारा टावेल/कपड़ा लाना अनिवार्य होगा।
(8) कोरोना वायरस कोविड–19 से बचाव हेतु आवश्यक सूचना/जानकारी संबंधी पोस्टर/पाम्पलेट/फ्लैक्स का दुकान में सार्वजनिक प्रदर्शन किया जाना अनिवार्य होगा।
(9) किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना के लिए सेलून संचालक जिम्मेदार होगा।

B पान दुकान, पान ठेला हेतु शर्ते–

(1) दुकान में सेनेटाईजर/हाथ होने के लिए साबुन एवं पानी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
(2) पान ठेले/दुकान में विक्रय किये जाने वाले पदार्थ जैसे–सिगरेट, गुड़ाखु, गुटखा, तम्बाकु, पाउच, बीडी आदि का उपयोग/उपभोग सार्वजनिक स्थान/पान ठेले में किये जाने पर प्रतिबंध रहेगा। पान ठेले से इन सामग्रियों का मात्र विक्रय ही किया जावेगा।
(3) कोरोना वायरस कोविड–19 से बचाव हेतु आवश्यक सूचना/जानकारी संबंधी भी पोस्टर/पाम्पलेट/फ्लैक्स का दुकान में सार्वजनिक प्रदर्शन किया जाना अनिवार्य होगा।
(4) दुकान में आने वाले सभी ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
(5) किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना के लिए पान ठेला संचालक जिम्मेदार होगा।

इन लॉकडाउन में जारी आदेशों एवं दिशा निर्देशों के उल्लंघन करते पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 भारतीय दण्ड संहिता

Scanned with CamScanner

1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हो के अन्तर्गत कार्यवाही के भागी होंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
रायपुर (छ.ग.)

कमांक–एस.डब्ल्यु./2020/ रायपुर दिनांक 18.05.2020

प्रतिलिपि :–

1. उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
18/05/20
रायपुर (छ.ग.)

Scanned with CamScanner